प्रस्ताव

57 आपराधिक दंड। पैरोल। किशोर आपराधिक कार्यवाही एवं दंड। पहल सांविधानिक संशोधन एवं संविधि (कानून)।

आधिकारिक शीर्षक और सारांश

अटार्नी जनरल द्वारा तैयार किया गया

- अहिंसक अपराधों में दोषी सिद्ध हुए व्यक्तियों के लिए, उनके प्राथमिक अपराध के लिए यथा परिभाषितानुसार कारावास की अवधि पूर्ण कर लेने पर , पैरोल पर विचार किए जाने की अनुमति देता है।
- सुधार एवं पुनर्वास विभाग को पुनर्वास, अच्छे व्यवहार, या शैक्षिक उपलब्धियों के लिए दंड समय कटौती (सेंटेंस क्रेडिट) प्रदान करने के लिए प्राधिकृत करता है।
- सुधार एवं पुनर्वास विभाग के लिए नए पैरोल एवं दंड समय कटौती (सेंटेंस क्रेडिट) प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम अंगीकार करना और वे जन सुरक्षा में वृद्धि करते हैं यह प्रमाणित करना आवश्यक है।
- यह प्रावधान करता है कि किशोर न्यायालय के न्यायाधीश, अभियोजन पक्ष के प्रस्ताव पर, यह निर्धारण करेंगे कि 14 वर्ष व इससे अधिक आयु के किशोरों/किशोरियों पर निर्दिष्ट अपराधों के लिए वयस्क के रूप में अभियोजन चलाया जाए या नहीं एवं वयस्क के रूप में दंड दिया जाए या नहीं।

विधायी विश्लेषक के निवल राज्य एवं स्थानीय सरकार वित्तीय प्रभाव के आकलन का सारांश:

- राज्य की निवल बचत दसियों मिलियन डॉलर प्रतिवर्ष रहने की संभावना है, जो कि प्राथमिकतः जेलों में बंदियों की संख्या घटने के कारण होगी। बचत इस बात पर निर्भर करेगी कि कुछ प्रावधानों को किस प्रकार कार्यान्वित किया जाता है।
- काउंटी की निवल लागत कुछ मिलियन डॉलर प्रतिवर्ष रहने की संभावना है।

विधायी विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

पृष्ठभूमि

वयस्क अपराधी

California Department of Corrections and Rehabilitation (CDCR) राज्य कैद प्रणाली का संचालन करता है। CDCR उन वयस्कों के आवास की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार होता है, घोर अपराधों और साथ ही कुछ यौन अपराधों का दोषी करार दिया गया हो, जिन्हे राज्य कानून में गंभीर उल्लंघन के रूप में माना जाता हो। हिंसक घोर अपराधों में शामिल हैं हत्या, डकैती और बलात्कार। गंभीर घोर अपराधों के उदाहरण में शामिल हैं कुछ प्रकार के प्रहार, जैसे कि डकैती करने के उद्देश्य से किया जाने वाला प्रहार। यह विभाग उन मामलों में अन्य अपराधों (जैसे कि अनुदान चोरी) के लिए घोषित अपराधियों के लिए भी आवास की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है, जिनमें उन अपराधियों पर पूर्व में गंभीर अपराध, हिंसा या कुछ यौन अपराधों का आरोप लगाया जा चुका हो। जून 2016 तक, राज्य कारागार में लगभग 128,000 व्यक्ति थे। नीचे, हम वयस्क अपराधों को सजा सुनाए जाने और परोल निर्धारण सुनवाई और ऋण सजा सुनवाई की चर्चा कर रहे हैं।

वयस्क सजा। व्यक्तियों को एक अनिश्चित सजा या एक निश्चित सजा के तहत कैद में रखा जाता है। अनिश्चित सजा के तहत व्यक्तियों को एक निश्चित अवधि के लिए कैद में रखने की सजा सुनाई जाती है, जिसमें एक न्यूनतम बल्कि कोई विशिष्ट अधिकतम समयावधि नहीं शामिल होती है, जैसे कि 25-वर्ष-तक कैद की सजा। निश्चित सजा के तहत व्यक्तियों को निश्चित कैद की सजा सुनाई जाती है, जिसमें एक विशेष रिहाई तारीख होती है। राज्य कारगार में अधिकतर लोगों को एक निश्चित सजा दी गई है। कारागार में रहने वाले व्यक्तियों पर एक मुख्य या प्राथमिक अपराध का दोषी माना गया। वे प्रायः अन्य, कमतर अपराधों के लिए अतिरिक्त कैद समय काटते हैं, जिनके लिए उन्हें एक ही समय दोषी करार दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, राज्य कानून में शामिल है विभिन्न सजा वृद्धि जो व्यक्ति द्वारा काटी जा रही सजा के समय में इजाफा कर सकता है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को जिसे पूर्व में एक गंभीर या हिंसक अपराध के लिए दोषी पाया गया हो, उसे प्रायः किसी एक घोर अपराध की सजा की दुगनी सजा सुनाई जानी चाहिए।

परोल निर्धारण सुनवाई। जब कोई व्यक्ति किसी अनिश्चित सजा के लिए आवश्यक न्यूनतम वर्षों की सजा काट लेता है, तब state Board of Parole Hearings (BPH) एक परोल निर्धारण सुनवाई पूरा करता है, ताकि यह निर्धारण किया जा सके कि क्या वह व्यक्ति कैद से रिहा किए जाने के लिए तैयार है या नहीं। उदाहरण के लिए BPH ऐसी सुनवाई किसी व्यक्ति के 25 वर्ष तक 25-वर्ष- कैद की सजा काटने के बाद की जाती है। यदि BPH उस व्यक्ति को कैद से रिहा करने का फैसला लेता है, तो बोर्ड भविष्य में एक उत्तरवर्ती सुनवाई भी कर सकता है। जिन व्यक्तियों को निश्चित सजा मिलती है, उन्हें अपनी सजा के खत्म होने पर कैद से रिहा होने के लिए परोल निर्धारण सुनवाई की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि, वर्तमान में उनमें से कुछ व्यक्ति अपनी पूरी सजा को काट लेने से पहले परोल निर्धारण सुनवाई की पात्रता रखते हैं। उदाहरण के लिए कुछ व्यक्ति जिन्हें हिंसक घोर अपराधों का दोषी नहीं घोषित किया गया हो, वे अपनी कैद की सजा की आधी अवधि को पूरा कर लेने के बाद वर्तमान में परोल निर्धारण की पात्रता रखते हैं। यह कई विधेयकों में एक था जिसे संघीय अदालत ने राज्य कैदियों की संख्या को घटाने के लिए लागू किया था।

सजा ऋण। वर्तमान में राज्य कानून CDCR को कुछ कैदियों को निश्चित परिस्थितियों के तहत ऋण प्रदान करने की अनुमति प्रदान

विधायी विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

जारी

करता है जो उनके द्वारा कैद में काटे जाने वाले समय में कमी लाता है। ये सजा ऋण उत्तम व्यवहार या काम, प्रशिक्षण या शिक्षा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रदान किए जाते हैं। दो-तिहाई कैदी सजा ऋण पाने के पात्र हैं। राज्य कानून कैदी की सजा को ऋणों के जरिए घटाने की सीमा को सीमित करता है। उदाहरण के लिए, सजा ऋण के लिए पात्र आधे से अधिक कैदी अपनी सजा में केवल 15 फीसदी की कमी ला सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक हिंसक अपराध के लिए दोषी घोषित किया गया हो।

किशोर न्याय

18 वर्ष से कम की आयु वाले युवक जिन्हें अपराधी करार दिया गया हो, प्रायः उनपर किशोर अदालत में मुकदमा चलाया जाता है। हालांकि, निश्चित परिस्थितियों में उनके ऊपर वयस्क अदालत में भी मुकदमा चलाया जा सकता है। नीचे हम किसी युवक पर किशोर अदालत या वयस्क अदालत में मुकदमा चलाए जाने के निर्णय पर चर्चा कर रहे हैं।

किशोर अदालत में युवक। किशोर अदालत की कार्यवाही वयस्क अदालत की कार्यवाही से भिन्न होती है। उदाहरण के लिए किशोर अदालत के न्यायाधीश किसी युवक पर एक तय अवधि तक कैद या जेल में रहने की सजा नहीं सुनाते। बल्कि, न्यायाधीश उस युवक द्वारा किए अपराध और उसके आपराधिक इतिहास जैसे कारणों के आधार पर, उसके लिए उचित स्थापन तथा पुनर्वास उपचार (जैसे कि ड्रग उपचार) का निर्धारण करता है। वर्ष 2015 में किशोर अदालत में लगभग 44,000 किशोरों पर मुकदमा चलाया गया।

किशोर अदालतों द्वारा रखे युवकों के लिए प्रायः काउंटीज जिम्मेदार होते हैं। इनमें से कुछ युवकों को काउंटी किशोर इकाइयों में रखा जाता है। हालांकि, यदि न्यायाधीश को यह लगता है कि उस युवक ने कानून में सूचीबद्ध कुछ निश्चित महत्वपूर्ण अपराध किए हैं (जैसे कि हत्या, डकैती और कुछ यौन अपराध), तो न्यायाधीश उस युवक को एक राज्य किशोर इकाई में रख सकता है। राज्य कानून के अनुसार काउंटीज को सामान्यतः इन राज्य इकाइयों में युवकों की आवास व्यवस्था की लागत का एक हिस्सा वहन करना होगा। जिन युवकों को राज्य किशोर इकाई से रिहा किया जाता है, उनपर सामान्यतः काउंटी परिवीक्षा अधिकारी द्वारा समुदाय में निगरानी रखी जाती है।

वयस्क अदालत में युवक। कुछ परिस्थितियों में 14 वर्ष या उससे कम की आयु में अपराध करने के दोषी युवक पर मुकदमा वयस्क अदालत में चलाया जा सकता है और उसे वयस्क सजा सुनाई जा सकती है। (14 वर्ष से कम की आयु में अपराध करने के दोषी युवक पर मुकदमे की सुनवाई किशोर अदालत में ही की जानी चाहिए।) ऐसे मामलों को नीचे दिए गए तीन तरीकों में से किसी एक में वयस्क अदालत में भेजा जा सकता है:

- ***अपराध की गंभीरता पर स्वतः आधारित।*** यदि कोई युवक कुछ विशेष परिस्थितियों के साथ, जो अपराध को अधिक गंभीर बनाती हों (जैसे कि पीड़ित को यंत्रणा देने का दोषी पाया जाना), हत्या या विशेष यौन अपराध करने का दोषी पाया जाता है, तो उसपर वयस्क अदालत में मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
- ***अपराध तथा अपराध इतिहास पर आधारित अभियोजन के विवेकाधिकार पर।*** यदि किसी युवक का एक अहम आपराधिक इतिहास हो और/या उसे कानून में सूचीबद्ध निश्चित अपराधों (जैसे कि हत्या) का दोषी पाया जाता हो, तो एक अभियोजक सीधा वयस्क अदालत में मुकदमा दायक कर सकता है। उन मामलों में अभियोजकों के पास यह क्षमता अपराध करते समय 16 या 17 वर्ष की आयु वाले युवकों की तुलना में अपराध करते समय 14 या 15 वर्ष की आयु वाले युवकों के मामलों में अधिक होती है।
- ***सुनवाई पर न्यायाधीश के विवेकाधिकार पर।*** एक अभियोजक एक सुनवाई का अनुरोध कर सकता है, जिसमें एक किशोर न्यायाधीश निर्णय करता है कि एक युवक को वयस्क अदालत में स्थानांतरित किया जाए या नहीं। उन युवकों के लिए जो अपराध करते समय 14 या 15 वर्ष की आयु के थे, वह अपराध कानून में सूचीबद्ध निश्चित अहम अपराधों (जैसे कि हत्या, डकैती, या निश्चित यौन अपराध) में एक होना चाहिए। उन युवकों के लिए जो अपराध करते समय 16 या 17 वर्ष की आयु के थे, अभियोजक इस सुनवाई की मांग किसी भी अपराध के लिए कर सकता है, पर मुख्यतः वह ऐसा अधिक गंभीर अपराधों के लिए या एक अहम आपराधिक इतिहास वाले युवकों के लिए ही करेगा।

आपेक्षिक रूप से कुछ युवकों को हर वर्ष वयस्क अदालत में भेजा जाता है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2015 में 600 से कम युवकों को वयस्क अदालत में भेजा गया था। सुनवाई के आधार पर न्यायाधीश के विवेकाधिकार पर 100 से कम युवकों को वयस्क अदालत भेजा गया था। उनके अपराध की गंभीरता के आधार पर या उनके अपराध तथा/या आपराधिक इतिहास के आधार पर अभियोजन के विवेकाधिकार पर वयस्क अदालत को स्वतः ही रिमाइंडर भेजा गया।

18 वर्ष से कम की आयु वाले युवक जिन्हें वयस्क अदालत द्वारा अपराधी करार दिया गया हो, उनकी सजाओं के पहले भाग के लिए उन्हें किसी राज्य किशोर इकाई में रखा जाता है। जब ये युवक 18 वर्ष के हो जाते हैं, तो उन्हें सामान्यतः राज्य कारागार में हस्तानांतरित कर दिया जाता है। हालांकि, उनकी सजा यदि इतनी अल्प हो कि वे 21 वर्ष की आयु के होने से पहले ही पूरी सजा काट सकते हैं, तो वे अपनी समूची सजा को किसी राज्य किशोर इकाई में काटते हैं। वयस्क

प्रस्ताव 57 के पूर्ण पाठ्य के लिए, देखें पृष्ठ 141।

विधायी विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

अदालत में दोषी करार दिए युवकों के लिए किसी राज्य किशोर इकाई में आवास व्यवस्था की पूरी लागत का भुगतान राज्य करता है। उनकी सजाओं के पूरा होने पर, उन युवकों पर सामान्यतः राज्य परोल एजेंटों द्वारा निगरानी रखी जाती है।

प्रस्ताव

यह विधेयक परोल निर्धारण के लिए पात्र कैदियों की संख्या को बढ़ाने के लिए राज्य संविधान में बदलाव करता है तथा कैदियों को सजा ऋण प्रदान करने के लिए CDCR को अधिकृत करता है। यह विधेयक राज्य कानून में भी बदलाव करता है, ताकि युवकों को वयस्क अदालत में स्थानांतरित करने से पहले उनकी सुनवाई किशोर अदालत में की जा सके। हम नीचे इन प्रावधानों का अधिक विस्तार से वर्णन कर रहे हैं।

अहिंसक अपराधियों के लिए परोल निर्धारण। यह विधेयक राज्य संविधान में बदलाव करता है, ताकि जिन व्यक्तियों को "अहिंसक घोर अपराध" का दोषी पाया जाता है, वे अपने मुख्य अपराध के लिए दी गई पूरी कैद की सजा पूरा करने के बाद परोल निर्धारण का पात्र हो सके। परिणामस्वरूप, BPH निर्णय लेगा कि इन व्यक्तियों को उनके अन्य अपराधों या सजा वृद्धि से जुड़े किसी अतिरिक्त समय को काट चुकने से पहले रिहा की जाए या नहीं।

इस विधेयक के अनुसार CDCR को इन बदलावों को लागू करने के लिए विनियमनों को अपनाना होगा। यद्यपि यह विधेयक तथा मौजूदा कानून यह नहीं उल्लेख करता है कि किन घोर अपराधों को अहिंसक के रूप में माना जाए, यह विश्लेषण मानता है कि एक अहिंसक घोर अपराध वाला उल्लंघन किसी ऐसे घोर अपराध वाले उल्लंघन को शामिल करेगा जो कानून में विशेस रूप से हिंसक के रूप में वर्णित न हो। सितम्बर 2015 तक, राज्य कारागार में लगभग 30,000 कैदी थे, जो इस विधेयक के परोल निर्धारण प्रावधानों द्वारा प्रभावित होंगे। इसके अलावा, लगभग 7,500 व्यक्तियों जिन्हें हर वर्ष राज्य कारागार में भेजा जाता है, इस विधेयक के तहत परोल निर्धारण के लिए पात्र होंगे। जो व्यक्ति उपरोक्त परिवर्तनों से प्रभावित होंगे, वे परोल और/या रिहाई के लिए निर्णय लिए जाने से पहले लगभग दो वर्षों तक कैद का समय काटते हैं। विधेयक के तहत, हम आंकलन करते हैं कि ये व्यक्ति परोल और/या रिहाई के लिए निर्णय लिए जाने से पहले लगभग दो वर्षों तक कैद का समय काटते हैं।

ऋण देने का प्राधिकार। यह विधेयक राज्य संविधान में यह बदलाव भी करता है कि CDCR को अच्छे व्यवहार तथा मंजूर किए पुनर्वास वाले या शैक्षणिक उपलब्धियों वाले कैदियों को ऋण देने का प्राधिकार प्रदान किया जाए। विभाग उन कैदियों को बढ़े हुए ऋण प्रदान कर सकता है, जो वर्तमान में उनकी पात्रता रखते हैं और वर्तमान में अयोग्य को ऋण प्रदान करते हैं। परिणामस्वरूप, CDCR कैदियों द्वारा अर्जित किए जा सकने वाले ऋण मात्रा को बढ़ा सकता है, जो कैद में काटे समय की मात्रा को घटाएगा।

किशोर स्थानांतरण सुनवाई। यह विधेयक राज्य कानून में बदलाव लाता है, जिसके अनुसार युवकों को वयस्क अदालत में स्थानांतरित करने से पहले, उनके स्थानांतरण के फैसले पर किशोर अदालत में सुनवाई होनी चाहिए। परिणामस्वरूप, किसी युवक पर तभी वयस्क अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है, यदि सुनवाई में शामिल किशोर अदालत उस युवक को वयस्क अदालत को स्थानांतरित करने का निर्णय लेती है। निश्चित गंभीर अपराधों को अंजाम देने वाले अपराधी युवकों पर तब अपने आप वयस्क अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और किसी अभियोजक के फैसले पर किसी युवक पर वयस्क अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। इसके अलावा, यह विधेयक यह ब्यौरा देता है कि अभियोजक केवल उन युवकों के स्थानांतरण सुनवाई की मांग कर सकता है, जिन्हें (1) 14 या 15 वर्ष की आयु में राज्य कानून में सूचीबद्ध निश्चित अहम अपराधों (जैसे कि हत्या, डकैती तथा निश्चित यौन अपराध) का दोषी करार दिया गया हो या (2) उन्हें 16 या 17 वर्ष की आयु में किसी घोर अपराध का दोषी करार दिया गया हो। इन प्रावधानों के परिणामस्वरूप, वयस्क अदालत में कुछ ही युवकों पर मुकदमा चलाया जाएगा।

राजकोषीय प्रभाव

यह विधेयक राज्य और स्थानीय सरकारों पर कई राजकोषीय प्रभाव डालेगा। हालांकि, इन प्रभावों का परिमाण विधेयक में मौजूद निश्चित प्रावधानों की व्याख्या करने तथा उनके क्रियान्वयन करने के तरीके पर निर्भर करेगा। इस प्रकार, हमारे नीचे दिए गए आंकलन काफी अनिश्चितता के अधीन हैं।

अहिंसक अपराधियों के लिए परोल निर्धारण।

कुल राज्य बचत। विधेयक के परोल निर्धारण प्रावधानों के कारण जिस हद तक अहिंसक अपराधी अल्प कैद अवधियों को पूरा करता है, वह राज्य लागतों में कमी लाएगी, क्योंकि कैद आबादी के आकार में कमी होगी। बचतों का यह स्तर मुख्यतः रिहाई के लिए चुने गए BPH व्यक्तियों की संख्या पर निर्भर करेगा। निश्चित अहिंसक अपराधियों के लिए परोल निर्धारण से जुड़े हाल के BPH अनुभव के आधार पर, हम आंकलन करते हैं कि इस प्रावधान पर मौजूदा राजस्व संबधी असर हर वर्ष दसियों मिलियन डॉलर की राज्य बचत की संभावना पैदा करेगी। इन बचतों को कुछ हद तक अधिक परोल निर्धारणों के संचालन हेति BPH की अतिरिक्त लागत के लिए ऑफ़सेट किया जाएगा।

यह विधेयक अग्र वर्णित कारणों से भविष्य की अवधि में अस्थायी राजस्व सम्बन्धी प्रभावों में भी परिणत होगा (1) वर्तमान में कारागर में मौजूद उन अपराधियों की रिहाई से होने वाली अतिरिक्त बचत, जो परोल निर्धारण के लिए पात्रता रखते हैं तथा (2) उन व्यक्तियों की निगरानी के लिए परोल लागतों में एक वृद्धि, जिनकी पूर्व में कैद से रिहाई हो जाती है।

विधायी विश्लेषक द्वारा विश्लेषण

जारी

काउंटी लागतों में वृद्धि। चूंकि विधेयक के परिणामस्वरूप कुछ उन व्यक्तियों की पूर्व रिहाई होगी, जिन्हें काउंटी परिवीक्षा अधिकारियों द्वारा, उनकी रिहाई के बाद निरीक्षण किया जाता है, इसलिए यह विधेयक निकटवर्ती अवधि में परिवीक्षा आबादी के आकार को बढ़ा सकता था। विधेयक की अनुपस्थिति में, आउंटीज आखिरकार भविष्य में इन परिवीक्षा लागतों का व्यय कर सकता था।

कैदियों के लिए सजा ऋण

कुल राज्य बचत। जिस हद तक CDCR व्यक्तियों को अतिरिक्त ऋण प्रदान करता है, यह विधेयक कैदियों की संख्या में कमी के परिणामस्वरूप राज्य लागतों को कम करेगा। किसी स्तर की बचत काफी अनिश्चित है, क्योंकि यह CDCR द्वारा कम की गई औसत सजा लंबाइयों की मात्रा पर निर्भर करेगा। यदि विभाग कैदियों द्वारा पूरा किए औसत समय को कुछ हफ्तों तक कम करने के लिए पर्याप्त ऋण मंजूर करता है, तो यह विधेयक अंततः वार्षिक रूप से अल्प दसियों मिलियन डॉलर की राज्य बचत में परिणत हो सकता है। हालांकि, बचत उल्लेखनीय रूप से अधिक या कम हो सकता था यदि विभाग दूसरे फैसले लेता। चूंकि विधेयक के परिणामस्वरूप कुछ उन व्यक्तियों की पूर्व रिहाई हो सकती है, जिन्हें काउंटी परिवीक्षा अधिकारियों द्वारा, उनकी रिहाई के बाद निरीक्षण किया जाता है, इसलिए विधेयक परिवीक्षा आबादी के आकार को अस्थायी रूप से अवधि में बढ़ा सकता है। हालांकि, राज्य आखिरकार इन परोल लागतों का व्यय यहां तक कि विधेयक की अनुपस्थिति में करेगा।

काउंटी लागतों में वृद्धि। चूंकि विधेयक के परिणामस्वरूप कुछ उन व्यक्तियों की पूर्व रिहाई हो सकती है, जिन्हें काउंटी परिवीक्षा अधिकारियों द्वारा, उनकी रिहाई के बाद निरीक्षण किया जाता है, इसलिए विधेयक परिवीक्षा आबादी के आकार को निकटवर्ती अवधि में बढ़ा सकता था। विधेयक की अनुपस्थिति में, आउंटीज आखिरकार भविष्य में इन परिवीक्षा लागतों का व्यय कर सकता था।

अदालत में युवा का अभियोजन (मुकदमा चलाने की कार्यवाही)

कुल राज्य बचत। यदि विधेयक के स्थानांतरण सुनवाई आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप वयस्क अदालत में कुछ ही युवकों पर मुकदमा चलाया जाता है और अपराधी घोषित किया जाता है, तो विधेयक का राज्य पर अनेक राजस्व संबंधी प्रभाव पड़ेगा। पहला राज्य कैद परोल लागतों को कम करेगा क्योंकि वे युवा अब और अधिक समय कैद में नहीं गुजारेंगे या उनकी रिहाई के बाद राज्य परोल एजेंटों द्वारा उनका निरीक्षण नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, चूंकि किशोर अदालत की कार्यवाहियां प्राय: वयस्क अदालत की कार्यवाहियों की तुलना में छोटी होती है, इसलिए विधेयक राज्य अदालत लागतों को कम करेगा। ये बचत बढ़े हुए राजकीय किशोर न्याय लागतों द्वारा आंशिक रूप से ऑफ़सेट हो जाएंगी क्योंकि विधेयक से प्रभावित युवा प्राय: राज्य किशोर इकाइयों में बहुत समय खर्च करेंगे। (जैसा कि पहले टिप्पणी की गई थी, राज्य किशोर इकाइयों में इन युवाओं के आवास के व्यय का एक अंश का भुगतान काउंटीज द्वारा किया जाएगा।) कुल मिलाकर, हम यह अनुमान लगाते हैं कि उपरोक्त प्रयासों से राज्य की कुल बचत वार्षिक रूप से कुछ मिलियन डॉलर हो सकती है।

काउंटी लागतें। यदि कुछ ही युवकों पर मुकदमा चलाया जाता है और वयस्कों की तरह अपराधी घोषित किया जाता है, तो काउंटीज पर विधेयक का भी राजस्व संबंधी अनेक प्रभाव पड़ेगा। पहला, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, राज्य किशोर इकाइयों में युवकों की आवास व्यवस्था की लागत के एक हिस्सा के वहन के लिए काउंटीज जिम्मेदार होगा। इसके अतिरिक्त, काउंटी परिवीक्षा विभाग इन युवकों के उनकी रिहाई के बाद निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार होंगे। चूंकि किशोर अदालत की कार्यवाहियां प्राय: वयस्क अदालत की कार्यवाहियों की तुलना में छोटी होती है, उपरोक्त काउंटी लागतें कुछ बचतों द्वारा ऑफ़सेट हो जाएंगी। उदाहरण के लिए, इन युवकों के लिए अदालत की कार्यवाहियों में शामिल काउंटी एजेंसियों - जैसे डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, सार्वजनिक रक्षक, और काउंटी परिवीक्षा - के कार्यभार में कमी आएगी। **कुल मिलाकर, हम यह अनुमान लगाते हैं कि उपरोक्त प्रयासों के कारण राज्य की कुल व्यय वार्षिक रूप से कुछ मिलियन डॉलर हो सकता है।**

अन्य राजकोषीय प्रभाव

विधेयक कई तरीकों से अपराध दरों को भी प्रभावित कर सकता है। दूसरी ओर, यदि विधेयक के परिणामस्वरूप अपराधी कैद में कम समय रहते हैं और अधिक समय समुदाय में रहते हैं, तो इस कारण से कुछ अपराधी अतिरिक्त अपराध कर सकते हैं या अन्य रूप से वे जल्द अपराध कर सकते हैं। दूसरी ओर, विधेयक से अधिक से अधिक अपराधी शैक्षणिक और पुनर्वास कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं जिससे भविष्य में उनके अपराध करने की संभावना घट जाएगी। उपरोक्त कारकों का कुल प्रभाव अज्ञात है।

इस विधेयक का समर्थन या विरोध करने के लिए प्राथमिक रूप से गठित समितियों की सूची के लिए *http://www.sos.ca.gov/measure-contributions* पर जाएं। समिति के शीर्ष 10 योगदानकर्ता देखने के लिए *http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors/nov-16-gen-v2.html* पर जाएं।

प्रस्ताव 57 के पूर्ण पाठ्य के लिए, देखें पृष्ठ 141।